(430)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक : 09.11.2012

12 NOV 2012

1. आयुक्त, जयपुर /जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, (समस्त) राजस्थान।
4. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :—"प्रशासन शहरों के संग अभियान—2012"—मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण।

संदर्भः— इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012 एवं 26.10.2012

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के सम्बन्ध में समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012 के द्वारा विस्तृत दिशा—निर्देश प्रेषित किये गये थे। जिसके क्रम में दिनांक 26.10.2012 को भी शिथिलताओं के सम्बन्ध में पुनः अवगत कराया गया था। इस विषय में आपका ध्यान समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012 के बिन्दु संख्या 2(ii) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:—

"2. (ii)दिनांक 17.06.99 के बाद की योजनाऐं जिनमें 90 बी का निर्णय जारी हो चुका है उनके पट्टे जारी करने बाबत :— दिनांक 17.06.99 के बाद की योजनाऐं जिनमें 90 बी (3) की प्रक्रिया दिनांक 27.05.2011 से पूर्व पूर्ण हो चुकी है, उन योजनाओं के अनुमोदित प्लान के तहत किसी भी क्षेत्रफल के पट्टे अभियान के दौरान नगरीय निकाय स्तर पर दिये जायेगें। प्रचलित आदेशों के अनुसार जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरणों में आवासीय भूखण्डों एवं गैर आवासीय भूखण्डों में क्रमशः 10,000 वर्गमीटर तथा 4,000 वर्गमीटर से अधिक और अन्य नगर निकायों में आवासीय भूखण्डों एवं गैर आवासीय भूखण्डों में क्रमशः 5,000 वर्गमीटर तथा 2,500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति ली जाने के निदेश जारी किये हुए है। इसके अतिरिक्त 10000 वर्गमीटर से अधिक औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व भी राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

अब इनमें शिथिलन देते हुए अभियान के दौरान राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही नगरीय निकाय स्तर पर किसी भी क्षेत्रफल तक के भूखण्ड का पट्टा जारी करने की शक्तियाँ प्रदान कर दी गई है।"

इस विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षेत्रफल के सम्बन्ध में नियमन/पट्टा विलेख जारी करने की समस्त शक्तियां अभियान के दौरान केवल ऐसे मामलो में नगरीय निकायो को दी गई है जिनमें धारा 90-बी (3) की प्रक्रिया दिनांक 27.05.2011 से पूर्व ही पूर्ण हो चुकी है।

(337)

धारा 90–ए के अन्तर्गत दिनांक 17.6.1999 के बाद की योजनाओ के प्रकरणों में निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को यथावत प्रेषित किये जावेगे, अर्थात धारा 90–ए की उपधारा (6) एवं (7) के प्रकरणो में क्षेत्रफल की सीमा पूर्व की भांति यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(जी.एस.संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

शासन उप सचिव–द्वितीय